(151)

II/निग0/रीवा/भू0रा0/2018/ए/240

* राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट *

न्यायालय श्रीमान सदस्य रीवा म0प्र0

20रु. बीस रुपये TWENTY RU. 20रु. Rs.20 बीस रुपये TWENTY RUPEES

सुदामा प्रसाद मिश्र तनय श्री राममनोहर मिश्र उम्र 80 वर्ष निवासी ग्राम बुड़वा तहसील रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0प्र0 ——————— निगरानीकर्ता

बनाम

1— शिवशंकर मिश्र तनय रामकिंकर मिश्र उम्र 45 वर्ष

2— रजमन्ती देवी पत्नी स्व0 रामकिंकर मिश्रसभी निवासी ग्राम बुड़वा, तहसील रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0प्र0 हाल निवासी जैतपुर तह0 जैतपुर जिला शहडोल म0प्र0 —————————— गैरनिगरानीकर्ता

अधि0 श्री नागेन्द्र मणि त्रिपाठी द्वारा पेश। 20-2-18

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट रीवा)

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय रीवा जिला रीवा म0प्र0 का प्र0क0 2/ पुनर्विलोकन /2017 —18 आदेश दिनांक 12—2—18 सहपठित अनुविभागीय अधिकारी महोदय तहसील रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0प्र0 का प्र0क0 30/अ—27/अपील/ 15—16 आदेश दिनाक 28—12—17

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 सं0 1959

---

(3)

नि. द. सुदामा प्रसाद

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- दो/निग0/रीवा/भू-रा0/2018/1240 जिला-रीवा

सुदामा प्रसाद मिश्रा/ शिव शंकर मिश्रा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15.02.19	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री नागेन्द्रमणि उपस्थित। 3. यह निगरानी कलेक्टर, जिला-रीवा के प्रकरण क्रमांक 2/पुनर्विलोक./2017-18 में पारित आदेश दिनांक 12-02-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 20-02-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

15/2/19

6. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 25-04-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर आयुक्त रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त रीवा के न्यायालय में भेजा जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन)
सदस्य 15/2/19